Policy No. RB/CE1/10./2004

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

(38)

No.95/CEI/CT/24 **New Delhi, dated13/7/2004.**

The Managing Directors of

IRCON, New Delhi.
RITES, New Delhi.
CONCOR, New Delhi.
IRFC Ltd. New Delhi.
KRCL, Mumbai.
MRVC Ltd. Mumbai.
IRC&TC Ltd. New Delhi.
Rail Tel Corporation of India Ltd. New Delhi
RVNL, New Delhi.

Subject – Appointment of the Arbitrator from zonal Railways directly by PSUs.

It has come to the notice of the Board that PSUs are appointing the railway officers as arbitrators for the cases pertaining to PSUs directly without taking formal approval of the concerned railway administrations on which the officer is working. It has been viewed adversely by the Board.

Board(ME, MS & FC) have decided that henceforth PSUs should not appoint any officer as an arbitrator in cases pertaining to their PSUs. If there is a need to appoint any officer from Zonal Railway as an arbitrator in any case pertaining to PSUs, the PSUs may write to the concerned GM to offer suitable officer(s) for the case.

This issues with the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

Pkumar

(PARMOD KUMAR)
EDCE (G)

Copy to-

(i) GMs and FA&CAO of all Indian Railways including Production Units: for information and to ensure that the requests of all the PSUs are promptly dealt with. All officers may be asked that they should not directly accept the arbitration cases from PSUs without obtaining permission of competent authority.
(ii) Sr PPSs/PPSs/PSs – all Board Members, Secretary Railway Board.
(iii) All EDs of Engg, Finance& Store Dtes. Railway Board
(iv) DF(X),D(PSU) &DE(G) , Railway Board.
(v) E(G) & FX(I) Dtes branches , Railway Board.

Pkumar

(PARMOD KUMAR)
EDCE (G)

D:\My Documents\CE- I\Tender and Contract Matters\Arbitration letter\Appointment of the Arbitrator.doc

पॉलिसी सं. आर बी ई/सी ई1/10../2004

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 95/सी ई-I/सी टी/24

नई दिल्ली, दिनांक : 13.7.2004.

प्रबंध निदेशक,
इरकॉन, नई दिल्ली.
राइट्स, नई दिल्ली.
कॉनकोर, नई दिल्ली.
आईआरएफसी लि., नई दिल्ली.
केआरसीएल, मुंबई.
एमआरवीसी लि., मुंबई.
आईआरसी एंड टीसी लि., नई दिल्ली.
रेल टेल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि., नई दिल्ली.
रेल विकास निगम लि., नई दिल्ली.

विषय : सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सीधे क्षेत्रीय रेलों से मध्यस्थ की नियुक्ति करना.

बोर्ड के नोटिस में यह आया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संबंधित रेल प्रशासन, जहाँ अधिकारी सेवारत है, की औपचारिक मंजूरी लिए बिना ही सीधे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित मामलों के लिए मध्यस्थ के रूप में रेल अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं. बोर्ड ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया है.

बोर्ड (सदस्य इंजी., सदस्य कार्मिक तथा वित्त आयुक्त) ने विनिश्चिय किया है कि अब से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने उपक्रमों से संबंधित मामलों में मध्यस्थ के रूप में किसी अधिकारी की नियुक्ति न करें. यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित किसी मामले में मध्यस्थ के रूप में क्षेत्रीय रेलवे से किसी अधिकारी की नियुक्ति करने की आवश्यकता पड़ती है तो वह सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम उस मामले के लिए उपयुक्त अधिकारी/अधिकारियों के लिए संबंधित महाप्रबंधक को लिख सकता है.

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है.

प्रमोद कुमार

(प्रमोद कुमार)
कार्यपालक निदेशक, सिविल इंजी (सा.)
रेलवे बोर्ड.

प्रतिलिपि प्रेषित:

(i) सभी भारतीय रेलों तथा उत्पादन इकाइयों के महाप्रबंधको तथा वित्त एवं मुलेधियों को सूचनार्थ एवं यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के आवेदनों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है. सभी अधिकारियों से कहा जाए कि वे सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किए बिना सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यस्थ संबंधी मामलों को सीधे स्वीकार न करें.
(ii) वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव/प्रमुख निजी सचिव/निजी सचिव-बोर्ड के सभी सदस्य, सचिव रेलवे बोर्ड.
(iii) इंजीनियरी, वित्त तथा भंडार निदेशालय, रेलवे बोर्ड के सभी कार्यपालक निदेशक.
(iv) निदेशक वित्त (व्यय), निदेशक (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) तथा निदेशक स्था.(राज.), रेलवे बोर्ड.
(v) ई(जी) तथा एफएक्स(I) शाखाएं, रेलवे बोर्ड.

प्रमोद कुमार

(प्रमोद कुमार)
कार्यपालक निदेशक, सिविल इंजी (सा.)
रेलवे बोर्ड